बिहार विधान-सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि 2 फरवरी, 1989 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि 2 फरवरी, 1989 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री शिवनन्दन पासवान** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 2 फरवरी, 1989 ई०

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव
बिहार विधान-सभा

स्थगन की सूचनाएं

(शोर-गुल)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अपना निर्णय सुना दिया है। मैं एक शेर और कहना चाहूंगा,

"दिल चाहता है मौजों से खेलूं,

बहुत दिन चले हैं किनारे-किनारे।"

माननीय सदस्य, जो सवाल उठाया था, उसको मैंने अमान्य कर दिया है। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, पढ़े।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर पत्रांक-19117-21 दिनांक 21-12-84 द्वारा परियोजनान्तर्गत बालिका उच्च विद्यालय, समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के कल्याणपुर में स्थापना की अनुमति दी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 12-सी दिनांक 25-1-85 को चयन किया गया। परन्तु मुन्ना सिंह ने तिकड़म और फरेब से कल्याणपुर के नाम पर रामपूरा में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन निर्माण का कार्य कराया। जो सरकारी आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंधन है तथा हरिजन और कमजोर वर्ग के बालिकाओं को शिक्षा से वंचित किया गया हैं।

श्री नरसिंह बैठा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी बात सुन ली जाय। माननीय सदस्य, श्री रामलखन बाबू नें आपको एक सुझाव दिया और इस तरह से अनेकों बार इस सदन के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय पर अविश्वास का प्रस्ताव आया है और

आज यह कोई नयी बात नहीं है। इसलिए आपके खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि हर बात को विशेषाधिकार समिति में भेजना, अनुचित हैं।

अध्यक्ष : शांति, माननीय सदस्य, श्री अजीत चन्द्र सरकार आप अपनी बात कहें।

श्री अजीत चन्द्र सरकार : अध्यक्ष महोदय, आज इंटरमीडियट शिक्षक, कर्मचारी विगत कई दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं, 300 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल के अन्दर न खाना दिया जा रहा है, न दवा दी जा रही है। 500 शिक्षक बेली रोड पर पड़े हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इंटरमिडिएट शिक्षकों की मांग को अविलम्ब पूरा किया जाय और जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए भोजन, दवा की व्यवस्था की जाय। आप सरकार को इसके लिए आदेश दें।

अध्यक्ष : शुन्यकाल की चर्चाएं।

श्री संकटेश्वर सिंह : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं। मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ? मेरे प्रस्ताव पर आप नियमन दीजिए। कम से कम आप संचिका को मंगवा कर देख लीजिए कि क्या सही है, क्या गलत हैं ? क्या निर्णय हुआ, संचिका मंगवा कर आप उसको देख लें।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भागवत झा "आजाद" : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है, अच्छी सरकार का कभी भी ऐसा

उद्देश्य नहीं हो सकता कि किसी को गिरफ्तार क़र खाना और दवा की व्यवस्था न करें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सभी प्रश्नों का समाधान स्ट्राइक, हड़ताल के जरिये नहीं हुआ करता। माननीय सदस्य, ने जो प्रश्न उठाया है, अभी मैं उसको तुरन्त दिखवा लेता हूं, शिक्षा मंत्री को मैं आदेश दे देता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हड़ताल, स्ट्राइक, धरना देने की प्रक्रिया कुछ और होती है और मांग पर विचार करने की प्रक्रिया कुछ और होती है। जहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है, उसको मैं तुरन्त दिखवा लेता हूं और पहले भाग को भी दिखवा लूंगा।

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। मैंने कल अल्प-सूचित प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मंत्री, पथ-निर्माण विभाग ने गलत बयानी की है। इसमें 84 लाख का मामला है। मैंने चार-चार पत्र लिखा है, 16 सितम्बर 1985, 9 जनवरी 1986, 6 दिसम्बर 1987 को लिखा है, पत्र निर्बंधित डाक से भेजा है, उसका रसीद मेरे पास है। मंत्री महोदय ने जान-बूझ कर गलत बयानी की है, यह सदन की अवमानना है, यह विशेषाधिकार का मामला है।

अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न उठाया है और जो आरोप लगा रहे हैं कि गलत जबाब दिया गया है तो इसके लिए नियम है, नियम के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठायें।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय में दाखिल किया गया है और सरकार की तरफ से कल उत्तर आया है कि कोई पत्र नहीं आया है, तो अध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने इसे दिया है या नहीं, उसकी जांच करवा लीजिये ?

अध्यक्ष : मैं इसे देख लूंगा।

(क) भभुआ गोलीकांड की जांच

श्री रामलाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, 8 मई, 88 को भभुआ में पुलिस की गोली से तीन निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गयी थी। इस कांड की जांच के लिए आयोग का गठन कर तीन माह के अन्दर रिपोर्ट मांगी गयी थी, परन्तु 6 माह के बाद भी जांच प्रारंभ नहीं किया गया। इधर उच्च न्यायालय पटना ने इस घटना के एक अभियुक्त की जमानत रद्द करते हुए आदेश दिया है कि इस मुकदमें के अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लेने, दौरा सुपुर्द करने एवं ट्रायल करने की कार्रवाई जांच आयोग के चलते रूकी नहीं रहेगी। अतः मैं मांग करता हूं कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी पुलिस अभियुक्त के विरूद्ध भी चार्जसीट तत्काल भेजा जाय, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। 27 जून 1988 में आयोग का गठन किया गया।

अध्यक्ष : आपने जो कहा है, सरकार इसे सुन रही है। मुख्यमंत्री यही बैठे हुए हैं, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं चलते सत्र में अवर-निरीक्षक श्री रतन लाल रजक (पटना पुलिस बल) द्वारा माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार के साथ किये गए दुर्व्यवहार एवं अपशब्द भाषा के प्रयोग करने के कारण विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखने को सूचना देता हूं।